

भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारी को अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

जनपद बलिया में बलिया-गाजीपुर से बिहार बार्डर तक (मांझीघाट) तक बनने वाले 4 लेन ग्रीन फील्ड के निर्माण में प्रभावित 0.49 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 04 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या--एफपी/यू० पी०/रोड/148569/2021)

राज्य सरकार की सिफारिशें – पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-पी-162/81-2-2023-800(159)/2023 दिनांक 20 जून 2023 के द्वारा प्रस्तुत पर संस्तुति सहित अनुमोदनार्थ अग्रसारित।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूट टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।

हस्ताक्षर

Signed by आशीष तिवारी

Date: 19-06-2023 11:52:14

Reason: Approved

()

नाम और पदनाम सरकारी मोहर सहित

(आशीष तिवारी)

सचिव,

पर्यावरण, वन एवं

जलवायु परिवर्तन विभाग,

उत्तर प्रदेश शासन।